




3



90/रूपये के लिए
आपके प्रस्तुत
[Signature]

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर।

पुकरण कर्मांक

/2017 निगरानी

R1456- I 17

लखत

लाखन सिंह पुत्र स्व० श्री गुमान सिंह ,

निवासी करगुवां , बार्ड नं० 15 , तहसील

पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ ₹ १०००००

----- आवेदक

बनाम

§ 1 §- शकुन्तला देवी पुत्री स्व० गुमान सिंह
पत्नी शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम गुजौरा
तहसील हमीरपुर , जिला हमीरपुर ₹ ३०००००

§ 2 §- कौशल्या पुत्री स्व० गुमान सिंह पत्नी
सोहन सिंह निवासी पतारा , तहसील व
जिला हमीरपुर ₹ ३०००००

§ 3 §- पार्वती पुत्री स्व० गुमान सिंह पत्नी भूरासिंह
निवासी बेरी तहसील हमीरपुर , जिला हमीरपुर
₹ ३०००००

§ 4 §- फुलिया पुत्री अमरा कुशावाहा

§ 5 §- गुडिया पुत्री अमरा कुशावाहा ,

समस्त निवासीगण जिखनगांव तहसील निवाड़ी,

जिला टीकमगढ़ ₹ १०००००

----- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प० भूराजस्व संहिता ,

श्री राज के पाठे, कोषी-
इसका आज दिनांक
24/5/17 को प्राप्त
श्री. [Signature]
को
प्रस्तुत किया है
24/5/17
कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर


[Handwritten mark]

~~XXXXIX(a)BR(H)-11~~

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला - टीकमगढ़

प्रकरण क्रमांक - /निगरानी/1456-एक/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-17	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एन.के. पाण्डे उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया ।</p> <p>2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उक्त आदेश अंतिम प्रकृति का होकर अपीलीय आदेश है जिसके विरुद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी इसी आधार पर अग्राह्य की जाती है । आवेदक सक्षम न्यायालय में विधिवत अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।</p>	<p> प्रशा० सदस्य</p>